न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2011

1. श्योपारी पुत्री भागीरथ पत्नि जयमलसिंह जाति बिश्नोई निवासी चोधरीवाली त0 व जिला हिसार।
2. सन्ती पुत्री भागीरथ पत्नि रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी काजलहेडी त0 व जिला फतेहबाद।
3. प्रहलाद पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी भाणा त0 एवं जिला फतेहबाद हरीयाणा।

:– वादीगण

ब ना म

1. लिलावती पत्नि हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चोधरीवाली त0 व जिला हिसार हाल कालवास त0 व जिला हिसार।
2. बृहस्पती पुत्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी भाण्डा त0 व जिला हिसार।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण गर्ग : **वादीगण**

वकील श्री बलवन्त सिंह : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 29/3/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि हनुमान पुत्र भानीराम पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चौधरीवाली की हरीयाणा के अलावा रोही मौजा चक 5 झांसल के मुश्तर्का खाता सं0 297/266 के मु0न0 107 के किला न0 23 में 0.139है0 किला न0 24 की 0.253है0 मु0न0 116 के किला न0 2 की 0.63है0, 3 की 0.240है0 4 की 0.253है0 7, 8 प्रत्येक किला की 0.253है0 9 की 0.190है0 11 की 0.89है0 12 ता 14, 17 ता 19 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 117 के किला न0 16 की 0.025है0 25 की 0.126है0 मु0 न0 148 के किला न0 4 की 0.253है0, 5 की 0.240है0 मु0 न0 119 के किला न0 1 ता 12 , 18 ता 20 प्रत्येक किला की 0.253है0 इस प्रकार कुल 8.727है0 मय रास्ता 0.065है0 खातेदारी में हनुमान पुत्र भागीरथ के नाम 0.727है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। हनुमानसिंह ने अपनी बहनों की सेवा व टहल चाकरीसे खुश होकर अपना मकान, प्लाट, जमीन चल व अचल सम्पति पूरे भारत में जहां कही भी है कि वसीयत दिनांक 06.01.2009 को अपनी तीनों बहनों श्योपारी, सन्ती व मु0 रोशनी के पक्ष में करवाकर उस पर सुन व समझ कर गवाहन के रोबरू अपने अगुठे चरपा किये तथा गवाहान ने भी वसीयतकर्ता हनुमानसिंह के रूबरू वसीयत को एटेस्ट किया जिसके बाद हनुमानसिंह ने उक्त वसीयत नामा उप पंजीयन बालसमन्द के यहां तस्दीक हेतु पेश किया जिन्होंने

भी हनुमानसिंह द्वारा सही होना स्वीकार करने के बाद वसीयत तस्दीक रजिस्ट्री कर हनुमान को सौप दी। हनुमानसिंह की मृत्यु दिनांक 20.02.2011 को गांव चौधरीवाली में हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के तुरन्त क्षण ही उक्त वसीयत लागू हो चूकी है तथा वसीयत के प्रभाव से वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 वाद भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 लीलावती पत्नि हनुमानसिंह अमला माल से साज बाज कर वाद भूमि का विरासती इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने पर आमदा है इसलिए उक्त वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादीस सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 लिलावती की ओर से एड0 बलबन्त सिंह ने वकालतनामा पेश किया व दस्तावेज पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हनुमान सिंह ने अपनी बहनों की सेवा व टहल चाकरीसे खुश होकर अपना मकान, प्लाट, जमीन चल व अचल सम्पति पूरे भारत में जहां कही भी है कि वसीयत दिनांक 06.01.2009 को अपनी तीनों बहनों श्योपारी, सन्ती व मु0 रोशनी के पक्ष में करवाकर उस पर सुंन व समझ कर गवाहन के रोबरू अपने अगुठे चस्पा किये तथा गवाहान ने भी वसीयतकर्ता हनुमानसिंह के रूबरू वसीयत को एटेस्ट किया जिसके बाद हनुमानसिंह ने उक्त वसीयत नामा उप पंजीयन बालसमन्द के यहा तस्दीक हेतु पेश किया जिन्होने भी हनुमानसिंह द्वारा सही होना स्वीकार करने के बाद वसीयत तस्दीक रजिस्ट्री कर हनुमान को सौप दी। हनुमानसिंह की मृत्यु दिनांक 20.02.2011 को गांव चौधरीवाली में हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के तुरन्त क्षण ही उक्त वसीयत लागू हो चूकी है तथा वसीयत के प्रभाव से वादीगण व प्रतिवादी स0 2 वाद भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके है इस प्रकार आज भी राजस्व रिकार्ड में हनुमान सिंह का नाम दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। तथा वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि उक्त वसीयत जो हनुमानसिंह द्वारा अपनी बहनों के पक्ष में दिनांक 06.01.2009 में करवायी गयी थी उसे माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा दिनांक 20.07.2021 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जा चुका है इस प्रकार उक्त वाद को खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत वाद भूमि रोही मौजा चक 5 झांसल के मुश्तर्का खाता सं0 297/266 के मु0न0 107 के किला न0 23 में 0.139है0 किला न0 24 की 0.253है0 मु0न0 116 के किला न0 2 की 0.63है0, 3 की 0.240है0 4 की 0.253है0 7, 8 प्रत्येक किला की 0.253है0 9 की 0.190है0 11 की 0.89है0 12 ता 14, 17 ता 19 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 117 के किला न0 16 की 0.025है0 25 की 0.126है0 मु0 न0 148 के किला न0 4 की 0.253है0, 5 की 0.240है0 मु0 न0 119 के किला न0 1 ता 12, 18 ता 20 प्रत्येक किला की 0.253है0 इस प्रकार कुल 8.727है0 मय रास्ता 0.065है0 खातेदारी में हनुमान पुत्र भागीरथ के नाम 0.727है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, से सबंधित एक वसीयतनामा हनुमानसिंह के द्वारा अपनी बहनों के पक्ष में दिनांक 06.01.2009 को करवाया गया था। हनुमानसिंह की मृत्यु दिनांक 20.02.2011 को हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में सलग्न है। उक्त वसीयतनामा को सिविल न्यायालय भादरा में प्रतिवादीया सं0 1 लिलावती द्वारा

उपखण्डाधिकारी (प्रसामी)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अनवान लीलावती बनाम श्योपारी आदि मु0 न0 156/2018 में चैलेज किया गया जिसके चलते माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा वसीयतनामा दिनांक 06.01.2009 को वाद में वर्णित 0.727है0 वाद भूमि जो हनुमानसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को लेकर वसीयतनामा जो पंजीयक बालसमन्द त0 व जिला हिसार हरियाणा द्वारा श्योपारी सन्ती, व रोशनी के नाम निष्पादित वसीयत को आरम्भ से ही शून्य एव प्रभावहीन घोषित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्णित वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं । अतः हस्तगत प्रकरण में वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज करने योग्य है।

अत : वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/3/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़